

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम –
2017 के अनुपालन में प्रशासनिक अधिकारी (वृत्तीय संवर्ग) के द्वारा
अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्र

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 दैनिक स्थान परिवर्तन कम में	एक की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमान दत्त	पुष्पाक्षर	पुष्पाक्षर	अमरापुरा	(1) अमरापुरा पुलिस (2) अमरापुरा पुलिस (3) अमरापुरा पुलिस (4) अमरापुरा पुलिस	☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छ) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत कारणों का विवरण प्रस्तावित स्थान	धारा 17(1) (ख) (एक) धारा 17(1) (ख) (दो) धारा 17(1) (ख) (तीन) धारा 17(1) (ख) (चार) धारा 17(1) (ख) (पांच) धारा 17(1) (ख) (छ) धारा 17(1) (ख) (सात)

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- श्रीमान दत्त
पदनाम- पुष्पाक्षर

हस्ताक्षर (कार्यालयवाचक)

नाम- डॉ० सुरेश प्रभार
पदनाम- उपाधीक्षक अभियन्ता